

**जेडीए के ज़ोन 11 में मुहाना मंडी, मानसरोवर के नजदीक
(गाँव केश्यावाला, तहसील सांगानेर) भूमाफियाओं द्वारा
कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!**

वृन्दावन विहार-1

भाग-1

वृन्दावन विहार-1
→ केश्यावाला - मु



सबसे बड़ा सवाल?

क्या जेडीए करेगा इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध कार्यवाही?

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

10 मिनट 3 महीने पहले



जेडीए के दावों की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया, जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ।

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों में कमी आई है और जयपुर के बिल्डर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही

कॉलोनियों का निर्माण कर रहे

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

है। लेकिन भूमाफियाओं की

मनमानी के सामने शायद यह

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST



जेडीए के कर्ता-धर्ताओं की खुशफहमी साबित हो रही है। आपको बता दें कि विगत 3 सालों में जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व में सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों में इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है।

गृह निर्माण सहकारियों समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नहीं है। नगरीय विकास, स्वास्थ्य शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता नहीं है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17

जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण को मान्यता दी जायेगी।

किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जायेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसंबर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके हैं तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण को मान्यता दी जायेगी।

बैंकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किये गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दराए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैंक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगे।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो ये राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किये जा सकेंगे। भूखंडधारियों को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सम्पत्ति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए हैं।

जेडीए के ज़ोन 11 मे मुहाना मंडी,मानसरोवर के नजदीक,(गाँव हाज्यावाला,तहसील सांगानेर) मे कृषि भूमि पर बसायी जा रही है अवैध कॉलोनी

“वृंदावन विहार-1”

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो मे कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए ,उन पर कॉलोनियाँ बसाने का खेल खेला जा रहा है।इन ज़ोनो मे एक ज़ोन 11 भी है,जहां ताबडतोड अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है।जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नही लग पा रही है।आपको बता दें कि कृषि भूमियों पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों मे एक नाम और शुमार हो गया है ,जिसका नाम वृंदावन विहार-1 रखा गया है।उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 11 मे मुहाना मंडी,मानसरोवर के नजदीक,स्थित कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी “वृंदावन विहार-1 ” बसायी जा रही है।

सोसाइटी के फर्जी पट्टे से काटी जा रही है यह अवैध कॉलोनी “वृंदावन विहार-1 ”

सूत्रों के अनुसार इस स्कीम के अंतरगर्त 30 से अधिक प्लॉट काटे जाएंगे,जिन्हे एक बोगस गृह

निर्माण सहकारी समिति लि. के पट्टे बांटे जाएंगे।चूंकि मुहाना मंडी के पास जमीनो की रेट अत्यधिक है,इसके चलते इस अवैध कॉलोनी मे भी बनी बनाई वीला की दर 25 लाख से शुरू होना बताई गयी है।इतना ही नहीं भूमाफियाओं द्वारा बैंक से साँठ-गाँठ करके इन भूखंडो पर लोन भी उपलब्ध करवाने का दावा किया जा रहा है।इस प्रकार भूमाफियाओं द्वारा खुलेआम ना केवल जेडीए को राजस्व का चुना लगाया जा रहा है,बल्कि ग्राहको के साथ भी ठगी की जा रही है।ग्राहको को लुभाने के लिए भूमाफियाओं द्वारा बाकायदा सोशल मीडिया पर जम कर प्रचार भी किया जा रहा है।

कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी 4 कॉलोनियां

अवैध निर्माण हटाए, विला भी किए ध्वस्त



पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

जयपुर. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने बुधवार को चार अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की। 28.5 बीघा में ये कॉलोनियां बसाई जा रही थी। कार्रवाई के दौरान पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। सभी कार्रवाई जून-12 में हुई। मुंडिया रामसर रोड, सिवार फाटक के पास 20 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर सिवार सिटी नाम से अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। यहां ग्रेवल की सड़कें व अन्य निर्माण कार्य चल रहा था। कार्रवाई के

दौरान सभी को ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा निवारू रोड स्थित लालचंदपुरा में पांच बीघा भूमि पर बसंत विहार-सी में कार्रवाई की। कॉलोनी में अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर लिया गया था। यहां नौ विला बनाने का काम चल रहा था। निर्माणाधीन विला भी कार्रवाई के दौरान ध्वस्त कर दिए गए। कालवाड़ रोड पर ही 1.5 बीघा भूमि पर और पार्थ सिटी के पीछे दो बीघा भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनियों के निर्माण भी ध्वस्त किए गए।

Search property using scheme name :-

VRINDAVAN VIHAR

Search

Reset

Show 10 entries

Search:

Developer Name	Scheme Name	Sector	Dev Type	Zone Name	Scheme Status	Allottee	Membership	Layout	Transfer
AMBESHWAR GNSS	VRINDAVAN VIHAR		Cooperative	ZONE-10	UN-APPROVED		List	Plan	Letters
HATHROI GADI GNSS	VRINDAVAN VIHAR-PRN		Cooperative	PRN-South-2	APPROVED	List	List	Plan	
MITRA GNSS	VRINDAVAN VIHAR VISTAR		Cooperative	ZONE-06	APPROVED	List		Plan	
NEHRU GNSS	VRINDAVAN VIHAR		Cooperative	PRN-North-1	UN-APPROVED		List	Plan	
SHIV SHANKAR GNSS	VRINDAVAN VIHAR		Cooperative	ZONE-12	APPROVED	List	List		Letters
THE JAIPUR BALMIKI GNSS	VRINDAVAN VIHAR		Cooperative	ZONE-05	APPROVED	List	List	Plan	Letters

Showing 1 to 6 of 6 entries

Previous

1


Next

JDA के रिकॉर्ड के अनुसार वृंदावन विहार नाम की कोई स्कीम रजिस्टर्ड नहीं है।



मुहाना मंडी

कृषि भूमि पर
बसाई जा रही
अवैध कॉलोनी
वृंदावन विहार-1



करीब 5 बीघा मे फैली
वृंदावन विहार मे बिना
JDA अनुमति बसाई जा
रही है कॉलोनी,काटी गई
सड़के,बन रहे पक्के मकान





करीब 5 बीघा मे फैली
वृंदावन विहार मे बिना
JDA अनुमति बसाई जा
रही है कॉलोनी, काटी गई
सड़के, बन रहे पक्के मकान



जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
2. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
3. कौन है बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति के कर्ता-धर्ता?अब तक जमीनो की धोखाधडी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ?
4. क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?
5. अब तक इस अवैध कॉलोनी मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
6. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस स्कीम की हकीकत मालूम है?
7. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधडी का जिम्मेदार कौन होगा?
8. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-11 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध कॉलोनी के बारे मे जानकारी है?
9. क्या जेडीए के इस ज़ोन-11 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने के जिम्मेदार नहीं है?
10. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
11. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
12. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?
13. क्या रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां महोदय इस बोगस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

